वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 22.06.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 22.06.2025

अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए की टीम ने शनिवार को सारनाथ में दो बीघा में हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। संदहा में बिना लेआउट स्वीकृत कराए बिना पांच बीघे में, फरीदपुर, रिंग रोड के किनारे लगभग 1.5 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। इस दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश और अवर अभियंता विनोद कुमार मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 22.06.2025

मॉल रोड पर 500 मीटर में होंगे सेल्फी पॉइंट, बनेंगे स्कल्पचर

वाराणसी। शहर के कैंटोनमेंट क्षेत्र में बनारस की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पाद को स्कल्पचर के रूप में स्थापित किया जाएगा। वीडीए, कैंटोनमेंट बोर्ड के साथ मिलकर मॉल रोड पर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ विकसित करने के साथ ही उसका सुंदरीकरण करेगा। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यहां जीआई और ओडीओपी उत्पादों के स्कल्पचर को स्क्रैब से बनाकर लगाया जाएगा। काशी की यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए इस पैदल मार्ग पर कई सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि जेएचवी मॉल से विक्ट्री ब्रिज तक मॉल रोड का 500 मीटर लंबा स्ट्रेच मुख्य पर्यटक मार्गों में से है। इस सड़क के किनारों पर पार्किंग अव्यवस्थित होने से पैदल यात्रियों को काफी असुविधा होती है। वीडीए और कैंटोनमेंट बोर्ड मॉल रोड पर पैदल यात्री के लिए आधुनिक और व्यवस्थित फुटपाथ बनाने जा रहा है। जिस पर वाराणसी के खास हैंडीक्राफ्ट का स्कल्पचर स्क्रैब से बनाकर लगाया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, बनारसी साड़ी आदि होगा। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 22.06.2025

यशस्वी साईं कुंज अपार्टमेंट में नोटिस चस्पा

- वीडीए ने शुक्रवार को तीन लोगों को नोटिस कराया था रिसीव नोटिस देने की प्रक्रिया हुई पूरी
- ध्वस्तीकरण के आदेश के क्रम में 25 जून को होगी तोड़ने की कार्रवाई, पुलिस को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, वाराणसी : रामापुरा में बिल्डर संजय गुप्ता ने तीन मंजिल आवासीय नक्शा पास कराकर छह मंजिल में 22 फ्लैट बनाकर बेच दिया। यशस्वी साईं कुंज अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित करने के साथ दूसरे दिन शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण कर्मी फ्लैट खाली कराने का नोटिस थमाने पहुंचे तो कुछ लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में उनके गेट पर वीडीए कर्मियों ने नोटिस चस्पा कर दिया। साथ ही 25 जून से पहले हरहाल में फ्लैट खाली करने की बात कही जिससे तोड़ने की कार्रवाई करने के दौरान कोई बाधा नहीं पहुंचे। उधर, वीडीए ने कमिश्नरेट पुलिस को पत्र लिखकर पुलिस बल की मांग की है जिससे कार्रवाई के दौरान कोई बाधा नहीं पहुंचे।

जोन तीन के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति ने बताया कि रामापुरा के संजय गुप्ता ने आराजी संख्या-18, 19 और 21 पर 472.63 वर्ग मीटर में तीन मंजिल आवासीय नक्शा पास कराया है। शमन मानचित्र में भवन स्वामी ने अवैध निर्माण खुद तोड़ने के लिए शपथ दिया था लेकिन तोड़ने की कार्रवाई नहीं की। ऐसे में वीडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है।

अवैध निर्माण तोड़ने के लिए भवन स्वामी को कई बार नोटिस दी गई लेकिन वे नजर अंदाज करते रहे। शुक्रवार को कमल जदवानी, आभा मिश्रा, अजय शर्मा, विनोद, संजय गुप्ता, समीर, सीमा त्रिपाठी, मधु मिश्रा, टीएस बत्रा, अनिल जायसवाल, राजेंद्र बत्रा, अर्पना बनर्जी, गुंजन सिन्हा, सुनीता बत्रा को नोटिस दिया गया है।

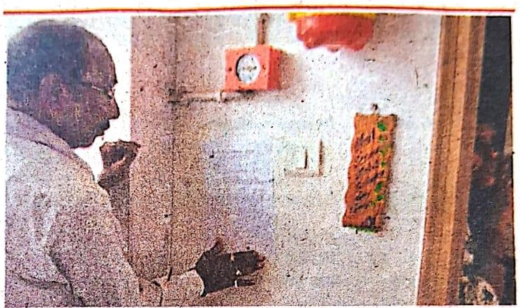

यशस्वी साईं कुंज अपार्टमेंट के फ्लैट में रहने वालों के नोटिस नहीं लेने पर दीवार पर नोटिस चस्पा करता वीडीए कर्मी • स्रोत, वीडीए

"यशस्वी साईं कुंज अपार्टमेंट पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है। उसमें 22 फ्लैट बने हैं लेकिन कुछ लोगों ने दो-दो फ्लैट खरीदा है जिससे संख्या करीब 18 है। शनिवार को नोटिस थमाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

–डा. वीपी मिश्रा, सचिव, वीडीए।

पूर्वोत्तर रेलवे

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 22.06.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

वाराणसी। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशानुसार अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्राधिकरण परिसर में सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 6:00 बजे से 7:00 बजे तक आयोजित हुआ।कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा द्वारा की गई। योग सत्र का संचालन योगाचार्य शिखा शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों और उनके लाभों से अवगत कराया तथा उनका अभ्यास भी कराया।योगाचार्य शिखा शर्मा ने बताया कि प्राणायाम योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें श्वास को नियंत्रित करने की विधियाँ अपनाई जाती हैं। प्राण का अर्थ है जीवन ऊर्जा और आयाम का अर्थ है विस्तार, अतः प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है – जीवन ऊर्जा का विस्तार।उन्होंने यह भी बताया कि प्राणायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित करता है और तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी बीमारियों में लाभकारी होता है।प्राणायाम को उन्होंने एक सरल, सुलभ और प्रभावी साधन बताया जिससे व्यक्ति सम्पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकता है। इसे प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाकर दीर्घायु और रोगमुक्त जीवन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।इस अवसर पर प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे और उन्होंने योगाभ्यास में सक्रिय सहभागिता दिखाई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान–दि0 22.06.2025

कैंटोंमेंट में संस्कृति की दिखेगी झलक

वाराणसी। कैंटोंमेंट क्षेत्र में फुटपाथ से गुजरते हुए आपको आसपास बनारस की सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की झलक दिखेगी। इन उत्पादों की कलाकृति यहां स्थापित की जाएगी। वीडीए ने छावनी परिषद के साथ मिलकर मॉल रोड पर फुटपाथ बनाएगा। पर्यटकों के लिए काशी की यात्रा को और भी यादगार बनाने के लिए यहां सेल्फी प्वाइंट्स बनाए जाएंगे। इसमें लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, बनारसी साड़ी आदि की कलाकृति लगेगी।

न्यायाधीश–दि0 22.06.2025

अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 वार्ड-शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत श्रीमती सन्हा आनन्द पतनी श्री विशाल पाण्डेय द्वारा मौजा-जमालपुर, बाबतपुर रोड़, वार्ड -शिवपुर, थाना-बड़ागाव, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 9.50' 23.50 मी0 में भूतल का स्लैब डालकर प्रथम तल पर कॉलम व दिवाल का निर्माण कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही करते हुये निर्माण कार्य को आज दिनांक 21 -06-2025 को भवन को सील कर सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर अवर अभियंता रोहित कुमार व प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 22.06.2025

जोन-2 ,वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत 02 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-2,वार्ड-सारनाथ के अंतर्गत 02 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सारनाथ, ग्राम-सन्दहा के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए 05 बीघे में तथा मौजा फरिदपुर, रिंग रोड के किनारे लगभग 1.5 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी , जिसे आज दिनांक 21/06/2025 को 30 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री प्रकाश एवं अवर अभियंता विनोद कुमार,वर्तिका दुबे तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

आज–दि0 22.06.2025

प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर वार्ड सारनाथ ग्राम संदाहा में पांच बीघे जमीन पर बिना ले आऊट स्वीकृति कराये प्लाटिंग की जा रही थी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी शिवप्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, वर्तिका दूबे, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस बल के सहयोग से प्रवर्तन विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी के माध्यम से प्लाट में हुये निर्माण को ध्वस्त कर दिया।